



मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
महर्षि पतञ्जलि संस्कृत संस्थान

आर.24 जोन 1 एम.पी.नगर भोपाल (मध्यप्रदेश)-462021

फोन नं.- 0755-2576214,2567215,2576209

ई-मेल : maharshipatanjali2014@gmail.com वेबसाइट - www.mpssbhopal.or

क्रमांक / म.प.सं.सं. / परीक्षा / 2020 / 1303

भोपाल, दिनांक 01.09.2020

प्रति,

समस्त प्राचार्य
शासकीय / अशासकीय संस्कृत महाविद्यालय / विद्यालय /
परम्परागत संस्कृत विद्यालय
मध्यप्रदेश

विषय :- महर्षि पतञ्जलि संस्कृत संस्थान से सम्बद्ध संस्कृत विद्यालयों में प्रवेश संबंधी कार्यवाही।
संदर्भ :- संस्थान से जारी पत्र क्रमांक / म.प.सं.सं. / परीक्षा / 2018 / 1941 भोपाल, दिनांक 16.08.18


—0—

संदर्भित पत्रानुसार संस्थान से सम्बद्ध संस्कृत विद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रवेश नीति 2018 जारी की गयी थी।

अतः उक्त जारी प्रवेश नीति अनुसार छात्रों के नियमित प्रवेश सुनिश्चित करें।

संलग्न - प्रवेश नीति -2018

निदेशक द्वारा अनुमोदित



सहायक निदेशक
महर्षि पतञ्जलि संस्कृत संस्थान,
म.प्र. भोपाल

क्रमांक / म.प.सं.सं. / परीक्षा / 2020 / 1304

भोपाल, दिनांक 01.09.2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं चेयरमेन म.पं.सं.सं.भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त जिला संस्कृत प्रभारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।


सहायक निदेशक
महर्षि पतञ्जलि संस्कृत संस्थान,
म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

::आदेशः

भोपाल, दिनांक 31/8/20

क्रमांक एफ 44-04/2019/20-2:: नोवेल कोरोना वायरस (कोविड 19) व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30.07.2020 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालय दिनांक 31 अगस्त 2020 तक बंद रखे जाने संबंधी निर्देश प्रसारित किये गये थे।


2/ गृह सचिव, भारत सरकार के अ.शा. पत्र दिनांक 29.8.20 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिपालन में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित में प्रदेश की समस्त शासकीय/अशासकीय विद्यालय दिनांक 30 सितम्बर 2020 तक बंद रहेंगे।

3/ दिनांक 21 सितम्बर 2020 से ऑनलाईन अध्यापन एवं उससे संबंधित अन्य कार्य संपादन हेतु 50 प्रतिशत शिक्षकीय/गैर शिक्षकीय स्टाफ को शाला में उपस्थिति हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

4/ कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थी दिनांक 21 सितम्बर 2020 से पालक/अभिभावकों की लिखित में सहमति के आधार पर शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालयों में उपस्थित हो सकेंगे। उक्त छूट कन्टेनमेंट क्षेत्र हेतु लागू नहीं होगी।

5/ पैरा 3 एवं 4 के संबंध में Standard Operating Procedure (SOP) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पृथक से जारी की जावेगी।

6/ समय-समय पर जारी विभागीय आदेश अनुसार ऑनलाईन अध्यापन की गतिविधियाँ जारी रखी जा सकेंगी।


(प्रमोद सिंह)
31/8/2020
उप सचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


महर्षि पतञ्जलि संस्कृत संस्थान आर..24 जोन 1 एम.पी.नगर भोपाल (मध्यप्रदेश) -462021

पृष्ठांकन क्रमांक/म.प.सं.सं./प्रवेश /2020/1302

भोपाल, दिनांक 31/8/2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं चेयरमेन म.पं.सं.सं.भोपाल ।
2. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश, भोपाल ।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक मध्यप्रदेश ।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश ।
5. समस्त जिला संस्कृत प्रभारी मध्यप्रदेश ।
6. समस्त प्राचार्य शासकीय /अशासकीय संस्कृत महाविद्यालय /विद्यालय परम्परागत संस्कृत विद्यालय मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ । उक्त आदेशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।


निदेशक

महर्षि पतञ्जलि संस्कृत संस्थान,
म.प्र. भोपाल